यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 96 / 2017 **दिनांक :** 23.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

नई पेंशन योजना

उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय ने अपना परिपत्र पत्र संख्या 28 / 41 / 2017 / 41 दिनांक 23.10.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

नई पेंशन योजना

जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार की नीति में बदलाव के कारण, परिभाषित लाभ योजना के बजाय 2004 से नई पेंशन योजना / परिभाषित अंशदान योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इसलिए यह 1.4.2010 से शामिल हुए बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों का हिस्सा बन गई।

एक सामान्य माँग है कि इसे उलट दिया जाना चाहिए और पहले की परिभाषित लाभ योजना को पुनः आंरभ किया जाना चाहिए। हम भी वर्तमान द्विपक्षीय वार्ता में हमारे माँग पत्र के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में इसकी माँग कर रहे हैं।

इस बीच, युवा कर्मचारियों जो 1.4.2010 के बाद बैंक में शामिल हुए हैं ने हमें सूचित किया है कि वे इस नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे कि निवेश विकल्पों को चुनने में कठिनाईयां, पेंशन फण्ड मैनेजर्स की पसंद, फण्ड मैनेजर्स द्वारा उनके खाते में सेवा शुल्कों का लिया जाना, निवेश में देरी, आदि। इन मुद्दों को वर्तमान में चल रही द्विपक्षीय वार्ता में आईबीए के साथ भी उठाया जा रहा है।

इसलिए हमारी सभी यूनियनों से अनुरोध किया जाता है कि नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याओं को हमें सूचित करें जो हमारे युवा सदस्यों द्वारा सामना की जा रही हैं जिससे कि इन्हें हमारे द्वारा आईबीए के साथ उठाया जा सके।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री